13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 44–दो/2007 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 800 अ–19/2002–03 निगरानी

मौजीलाल पुत्र जुगरू धोबी
ग्राम बेडरी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– कल्लू पुत्र बोरा चमार
2– श्रीमती चिरोंजिया पत्नि बोरा चमार
ग्राम बेडरी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0दि़वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्र0क0 800 अ–19/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–10–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त बसारी तहसील राजनगर ने प्रकरण क्रमांक 89 अ-10/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 31-8-1998 से ग्राम बेडरी की भूमि सर्वे क्रमांक 924 रकबा 2.941 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया) का पटटा अनावेदकगण को प्रदान किया। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष भूमि बन्टन आदेश दिनांक 31-8-98 के विरूद्ध इस आधार पर अपील प्रस्तुत कर बताया कि उसके ससुर मधवा धोवी कई वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करके खेती कर रहे थे उनके देहान्त के वाद वह खेती करते आ रहा है, किन्तु बिना उदघोषणा जारी किये नायव तहसीलदार ने गोपनीय तरीके से भूमि अनावेदकगण को बन्टित कर दी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील क्रमांक 35/2001-02 पंजीबद्ध करके उभय पक्ष की सुनवाई की एंव आदेश दिनांक 11-7-2003 पारित करके अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर एक ही परिवार में दो व्यक्तियों को पटटा देने के कारण अनावेदक क्र-2 के हित में 0.541 हैक्टर का दिया गया पटटा निरस्त. कर दिया एंव भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 800 अ-19/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-10-2006 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11-7-2003 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जब अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 89 अ-10/1997-98 का परीक्षण किया, उजागर हुआ कि अनावेदकगण के परिवार में पूर्व से 3.275 हैक्टर भूमि है परन्तु नायव तहसीलदार ने पात्रता की जांच नहीं की है। अनावेदक क्रमांक 1 के पिता तथा अनावेदक क्रमांक 2 के पति बोरा चमार के नाम पूर्व से ही ग्राम बेडरी में भूमि सर्वे क्रमांक 811 रकबा 0.732 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 812 रकबा 0.295 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 817 रकबा 0.961 हैक्टर भूमि है तथा अनावेदक क्रमांक 1 कल्लू पुत्र बोरा चमार के नाम भी सर्वे क्रमांक 850/1 ब रकबा 0.275 हैक्टर भूमि एंव इसीके भाई परसादी के नाम सर्वे क्रमांक 850/1 अ रकबा 1.000 हैक्टर भूमि है। स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 एं0 2 भूमिहीन नहीं है जिसके कारण वह भूमि बन्टन हेतु पात्रता नहीं रखते है क्योंकि पूरे परिवार के पास 3.275 हैक्टर भूमि है। जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक पिछले 30 वर्षो से कब्जा होकर खेती करते आ रहा है उसे सूचना नहीं दी गई और अपात्र व्यक्तियों को भूमि का बन्टन कर दिया गयाहै । इस प्रकार का तथ्य अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट हो चुका था उन्होंने दोनों अनावेदकगण के पटटा निरस्त न करने में भूल की है एंव उक्त तथ्यों के विपरीत अर्थ निकाल अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 800 अ-19/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-10-2006 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये अनावेदकगण के पटटे यथावत् रखने का निर्णय लेने में

भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अॅशतः स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 800 अ-19/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-10-2006 एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण कमांक 35/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-7-2003 तथा नायव तहसीलदार वृत्त बसारी तहसील राजनगर व्दारा प्रकरण कमांक 89 अ-10/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 31-8-1998 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ बन्टन अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की पात्रता की जॉच करें तथा मध्य प्रदेश शासन के भूमि बन्टन हेतु जारी वर्तमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुये हितबद्व पक्षकारों को श्रवण कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर